ई0–मेल द्वारा

अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध।

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय/अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप/अनु0–06/नव0–2023–23/2023/5890 लखनऊः दिनांकः– 22.11.2023

विषयः सत्र 2023–24 में ऑनलाइन काउन्सिलिंग के नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं के नामांकन में त्रुटियों के निवारण विषयक।

महोदय,

कृपया परिषद कार्यालय के पत्र संख्या प्राशिप/अनु06/न0 23–24/4497, दिनांक 16/10/2023 एवं पत्र संख्या प्राशिप/अनु06/न0 23–24/5500, दिनांक 09/11/2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके द्वारा सत्र 2023–24 हेतु नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं के नामांकन फार्म परिषद की वेबसाइट पर संस्था लॉगिन के माध्यम से भरने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु संज्ञान में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा आधार कार्ड, जन्मतिथि, हस्ताक्षर, फोटो, में त्रुटियों के निवारण हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के कम में नामांकन फार्म में छात्र/छात्राओं के नाम के साथ माता पिता के नाम को छोड़कर अन्य सभी विवरण एडिट करने हेतु संस्था लॉगिन पर दिनांक 23/11/2023 से 29/11/2023 तक लिंक खोला जा रहा है। अतएव निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित तिथि तक सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं संस्था प्रधानाचार्य का होगा। सूच्य हों कि भविष्य में उपरोक्त संशोधनों से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र/ई0–मेल, कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/अनु0–06/नव0–2023–24/2023/5891-93 तद्दिनांकः– 22.11.2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र, दौराला मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित संस्थाओं के संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें।
3. प्रभारी, कम्प्युटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उक्त की सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनश्चित करें।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव